

25.08.2023—

पुकार पर अभियुक्त हर्षू लाल उपस्थित नहीं। पत्रावली हाजरी मुलजिम हेतु नियत है। अभियुक्त के विरुद्ध पनः समन जारी हो।
पत्रावली वास्ते हाजरी मुलजिम दिनांक 04.09.2023 को पेश हो।

(संजीव कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तरकाशी।